(52)

न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल, म.प्र. ग्वालियर कैम्प सिटिंग भोपाल म.प्र.

PBR/पुनर्विलोकन/भोपाल/भू.रा./2018/2087 प्रकरण कं ....

जयराम आ. स्व. श्री आशाराम,
आयु वयस्क, निवासी– बैरागढ चिचली,
तहसील हुजूर, जिला भोपाल भोपाल म.प्र.---- आवेदक

विरूद्ध

दिनांक-27/3/18 भोपाल कैम्प अभिभाषक प्रेमसिंह द्वारा प्रस्तुत किया 27/3/18 D/R

1. म.प्र. शासन द्वारा जिलाध्यक्ष
जिला भोपाल म.प्र.

2. स्वामी गृह निर्माण समिति मर्यादित भोपाल
द्वारा प्रकाश चंदनानी पुत्र स्व. भैरूमल
वर्तमान पता– 77 आदित्य ऐवेन्यू
एयरपोर्ट रोड, भोपाल म.प्र.

3. शुभ स्टे द्वारा भागीदार
रोशन चावला वल्द रामूलाल चावला
कार्यालय– जी–10, आकांक्षा काम्पलेक्स
जोन–1, एम.पी. नगर, भोपाल म.प्र.

4. माउंट कार्मल सोसायटी
अरविंद विहार, बाग मुगालिया, भोपाल
द्वारा उपाध्यक्ष सिस्टर गेल्डीस

5. रामरतन आ. स्व. श्री अशाराम,
आयु वयस्क, निवासी– ग्राम बैरागढ चिचली,
तहसील हुजूर, जिला भोपाल म.प्र.

6. सदाराम आ. स्व. श्री अशाराम,
आयु वयस्क, निवासी– ग्राम बैरागढ चिचली,
तहसील हुजूर, जिला भोपाल म.प्र. ------ अनावेदकगण

आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 51 म.प्र. भू राजस्व संहिता 1959

आवेदक की ओर से निम्न निवेदन है कि :–

1. यह कि वर्तमान पुर्नविलोकन याचिका माननीय राजस्व मंडल द्वारा अपील कं 3336/पी.बी.आर./2014 आदेश दिनांक 07.04.2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की जा रही है।

2. यह कि प्रश्नाधीन आदेश के माध्यम से माननीय मंडल द्वारा अपर आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.06.2011 को प्रकरण कं 354/अपील/2009–10 को अपास्त किया जाकर कलेक्टर द्वारा प्रकरण कं 11/अ–6/अ/2007–08 में पारित आदेश दिनांक 21.07.2008 को बहाल कर दिया गया।

जयराम

निरंतर......2

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक PBR/पुनर्विलोकन/भोपाल/भू.रा./2018/2087

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
4-4-2018	आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । मूल निगरानी प्रकरण का अवलोकन किया गया । यह रिव्यु प्रकरण इस न्यायालय के प्रकरण क्रमांक निगरानी 3336-पीबीआर/14 में पारित आदेश दिनांक 7-4-2017 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 51 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया है । संहिता की धारा 51 सहपठित व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश 47 नियम 1 में पुनर्विलोकन हेतु निम्नलिखित आधारों का उल्लेख किया गया है:- 1. किसी नई और महत्वपूर्ण बात या साक्ष्य का पता चलना जो कि सम्यक तत्परता के पश्चात भी उस समय जब आदेश किया गया था, उस पक्षकार के ज्ञान में नहीं थी अथवा उसके द्वारा प्रेश नहीं की जा सकती थी, या 2. मामले के अभिलेख से ही प्रकट कोई भूल या गलती, या 3. कोई अन्य पर्याप्त कारण । आवेदक की ओर से पुनर्विलोकन आवेदन पत्र में ऐसी कोई बात या साक्ष्य नहीं दर्शाया गया है, जो आदेश पारित करते समय उसकी जानकारी में नहीं थी, अथवा प्रस्तुत नहीं की जा सकती थी । अभिलेख से परिलक्षित कोई त्रुटि भी नहीं दर्शाई गई है, केवल इस न्यायालय द्वारा निकाले गये निष्कर्षों में त्रुटि दर्शाने का प्रयास किया गया है, जो पुनर्विलोकन का आधार नहीं है । आवेदक मूल निगरानी प्रकरण में पक्षकार भी नहीं था और निम्न न्यायालयों में भी पक्षकार नहीं रहा है और उसके द्वारा कलेक्टर के आदेश, जिसकी निगरानी में पुष्टि की गई है, को चुनौती भी नहीं दी गई है । यह पुनर्विलोकन निर्धारित समयावधि में पेश भी नहीं की गई है । 2/ उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में यह पुनर्विलोकन प्रथम दृष्टया आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है । अध्यक्ष	